

22/11/22 पत्रावली पेश हुई। रेस्पोंडेंट अधिवक्ता उपे।

अपीलांगण) के अधिवक्ता अनुपस्थित।

न्यायालय समय तक इंतजार किया

बावजूद सूचना अनुपस्थित। अपील


अपीलांगण अफम एजरी एवं अफम पेस्वी

में खारिज की जाती है। पत्रावली केबाल

के शफर नंबर से कम होकर बाद तकनीक

दाखिल पक्षर हो, प्रादेश से इजनाइ

सुनाय, गया।


राजल अपील अधिकारी
बाइमेर